न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के अंतर्गत

मिसलेनियस वाद सं0 291 वर्ष 2024–25

आवेदक– घनश्याम महतो | क्रेता– खेमलाल महतो
ग्राम– करमाटांड | ग्राम– करमाटांड
थाना– दुग्दा जिला–बोकारो | थाना– दुग्दा जिला–बोकारो

आदेश की क्रम सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर कार्रवाई व टिप्पणी त 0

13/6/25

आदेश

यह वाद आवेदक–घनश्याम महतो, पिता–स्व0 सुखलाल महतो, वर्तमान **पता–ग्राम+पो0–करमाटांड, थाना–दुग्दा, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
करमाटांड	112	26	1236	08 डी0	04 डी0	रैयती धान खेत–3 वर्तमान स्वरूप धान खेत
			1269	18 डी0	09 डी0	
			1274	08 डी0	04 डी0	रैयती धान खेत, वर्तमान स्वरूप धान खेत
			1276	14 डी0	07 डी0	

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 5,91,000/–(पाँच लाख एकानबे हजार) रूपये में **क्रेता–खेमलाल महतो, पिता–स्व0 जयलाल महतो वर्त्तमान पता–ग्राम+पो0–करमाटांड, थाना–दुग्दा, जिला–बोकारो** के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 460/रा0, दिनांक 10.03.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा के पत्रांक–547, दिनांक–28.05.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता जाति के कुर्मी (महतो) है। जो पिछडी जाति की श्रेणी अन्तर्गत दर्ज है। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में भगतु कुरमी वो बाबुराम वो नन्हु पेशरान लेदा कुरमी जाति के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–37, भौलुम सं0–I पर अमरीत महतो, दीनु महतो वो टीकु महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2009–10 से 2024–25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. जमाबन्दीधारी रैयत से बिक्रेता–घनश्याम महतो, पिता–स्व0 सुखलाल महतो का संबंध परदादा का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में भगतु कुरमी वो बाबुराम वो नन्हु

पेशरान लेदा कुरमी जाति के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–37, भौलुम सं0–I पर अमरीत महतो, दीनु महतो वो टीकु महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2009–10 से 2024–25 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिकेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता जाति के कुर्मी (महतो) है। जो पिछडी जाति की श्रेणी अन्तर्गत दर्ज है। बिकेता एवं केता दोनों एक ही थानान्तर्गत एवं जिला अन्तर्गत के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो बिक्रेता–घनश्याम महतो, पिता–स्व0 सुखलाल महतो को खतियान के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः **आवेदक–घनश्याम महतो, पिता–स्व0 सुखलाल महतो, वर्तमान पता–ग्राम+पो0–करमाटांड, थाना–दुग्दा, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
करमाटांड 112	**26**	**1236**	**08 डी0**	**04 डी0**	**बाबुराम कुरमी**	**परती ढीपा**	**धान कनचन महतो**	**धान मोहन कुरमी वाके है**
		1269	**18 डी0**	**09 डी0**	**चेतलाल महतो**	**मेघा महतो**	**बिक्रेता नीज**	**बिक्रेता नीज वाके है**
		1274	**08 डी0**	**04 डी0**	**नीज**	**चेतलाल महतो**	**बिक्रेता नीज**	**नीज वाके है**
		1276	**14 डी0**	**07 डी0**	**रेता महतो**	**नीज**	**रेता महतो**	**नीज वाके है**

मो0 5,91,000/–(पाँच लाख एकानबे हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से **क्रेता–खेमलाल महतो, पिता–स्व0 जयलाल महतो वर्त्तमान पता–ग्राम+पो0–करमाटांड, थाना–दुग्दा, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

13.6.2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

13.6.2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2025.11.07 12:59:44 +05:30
Location: 10.93.6.142